महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। क्या उच्च स्तरीय निर्णय लेने में महिलाओं की प्रतिभा का उपभोग न कर पाने से पूरा समाज उससे वंचित नहीं रह गया है ? क्या इससे हमारा लोकतंत्र काफी हद तक प्रभावी नहीं होता ?

मैं एक बार पुनः अपने पुरुष साथी सदस्यों से यह अनुरोध करती हूं कि वे निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्थाओं में पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहभागिता स्थापित कर महिलाओं और पुरुषों के वर्षों पुराने भेदभाव को एकजुट होकर दूर करें और पुरुष और महिलाओं का एक संयुक्त नेतृत्व स्थापित करें जिससे कि हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके और समाज उन्नति कर सके।

हम, भारत की महिलाओं को उन पुरुष समाज सुधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार और उपहास का केन्द्र बनते हुए भी महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु जोरदार संघर्ष किया। राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वर चन्द्र विद्या सागर, रविन्द्र नाथ टैगोर, सुब्रामण्य भारती, ज्योतिवा फूले और अन्य यशस्वी लोगों को हमारे समाज के महान उपकारी के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा ?

इस सभा के सभी पुरुष सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसके प्रभाव को समझें।

श्री शरद पवार (बारामती) : आप पूरी सभा को क्यों नहीं सम्बोधित करतीं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, संपूर्ण सभा के पुरुष और महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वे इसके प्रभाव पर विचार करें। मैं जानती हूं कि महिलाओं का समर्थन इसे प्राप्त है। यही कारण है कि मैंने उस रूप में सम्बोधित किया।

यदि हम इस विधेयक से पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हैं तो हम इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कर सकते हैं । यदि हम ऐसा करते हैं तो भारतीय संसद के इतिहास में यह सबसे अनूठा सत्र होगा और एक पूर्ण और अधिक उन्मुक्त लोकमंत्र और एक उन्नत समाज की ओर देश की प्रगति का यह एक स्मरणीय योगदान होगा।

अतः, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक का समर्थन करें और उसे एकजुट होकर पारित कर एक कीर्ति बनायें। कृपया याद रखें कि मतदाताओं में जिसमें पचास प्रतिशत महिलाएं हैं, इसका बेसब्री और इस उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं कि हम सब इस सत्र में इस विधेयक के बारे में क्या करते हैं और यदि इसे इसी सत्र में पारित किया जाता है तो आप लोगों को हमेशा याद रखेंगी तथा आपकी आभारी रहेंगी।

अतः, हम सभी को एक पूर्ण लोकतंत्र की ओर अग्रसर होना चाहिए जहां पुरुष और महिला एक साथ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। अतः, इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाए।

अपराह्न 3.51 बजे

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

बारीपाड़ा उड़ीसा में हुआ अग्निकांड

प्रधानमंत्री (श्री एच० डी० देवेगौड़ा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से उड़ीसा राज्य की अपनी कल की यात्रा के संबंध में निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं कांग्रेस (आई) के नेता भी श्री शरद पवार, भा० ज० पा० के श्री कड़िया मुंडा तथा विभिन्न दलों के संसद सदस्यों श्री बीजू पटनायक, श्री अंचल दास, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, श्री श्रीकान्त जेना, कुमारी मुशीला तिरिया के साथ की गई अपनी यात्रा के संबंध में माननीय सदस्यों को कुछ सूचना देना चाहता हूं। हम बारीपाड़ा में 23 फरवरी 1997 को आग से हुई भीषण दुर्घटना वाली जगह का मुआयना करने के लिए कल दिनांक 24 फरवरी, 1997 को बारीपाड़ा गए थे।

इस घटना के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं :

मयूरभंज जिले की बारीपाड़ा नगर पालिका के तहत मधुबन क्षेत्र में एक धार्मिक समारोह जो 21 फरवरी, 1997 को आरम्भ हुआ था और 23 फरवरी, 1997 को समाप्त होना था, के दौरान लगभग 10 हजार श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। 23 फरवरी को दोपहर बाद 3.15 बजे अचानक उस स्थान पर भीषण आग भड़क उठी। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि दमकल तुरन्त बचाव कार्य में जुट गये। महिलाओं के शिविर को तो बचा लिया गया लेकिन पुरुषों के शिविर में आग फैल गई और 149 लोग मौके पर ही मर गए। अन्य 175 लोग जख्मी हो गए। और उन्हें स्थानीय अस्पतालों तथा नर्सिंग गृहों में भर्ती करा दिया गया था। जख्मी लोगों में से भी 28 व्यक्ति मर गए।

इस घटना के तुरन्त बाद स्थानीय प्रशासन ने घायलों की देखभाल के लिए 43 डॉक्टर तैनात कर दिए। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन, व्यापारी वर्ग और राजनैतिक कार्यकर्ता भी बचाव कार्य में जुट गये। कटक के मेडीकल कालेज से चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल तथा पैरा-मेडीकल स्टाफ भी बारीपाड़ा पहुंच गया है

मृतकों की पहचान की जा रही है और उनकी पहचान करने के लिए उनके सगे-संबंधी एवं परिचित लोग वहां आ रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार मृतकों के परिवारों को तथा स्थाई रूप से विकलांग हो गए लोगों को 50 हजार रुपये रिलीज कर रही है। घायल हुए अन्य लोगों को भी केन्द्र सरकार 25 हजार रुपये मुहैया कराएगी।

राज्य सरकार ने भी मृतकों के निकटम रिश्तेदारों को 25 हजार रुपये तथा घायल हुए लोगों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

मैंने मुख्यमंत्री जी से भी यह अनुरोध किया है कि मृतकों की ठीक-ठीक पहचान करने का प्रयास कराएं ताकि दी जाने वाली सहायता सही लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारी तथा राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की जांच केंद्रीय राजस्व प्रभाग, कटक के डिवीजनल आयुक्त से कराने के आदेश दिए हैं जो इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाएंगे और यह मालूम करेंगे कि आग पर काबू पाने और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए गए या नहीं।

मुझे विश्वास है कि इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करने तथा इसे हादसे में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने में माननीय सदस्य मेरे साथ हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी यात्रा से निश्चय ही स्थानीय लोगों के मन में एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हुआ है। उनको काफी राहत मिली। मेरा अनुरोध केवल यही है कि जो कुछ भी वित्तीय सहायता भारत सरकार उन्हें देना चाहती है, वह सहायता शीघ्र अति शीघ्र जारी की जाए।

उस राज्य में सूखे के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले दौरे के दौरान 50 करोड़े रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई थी। लेकिन संबंधित मंत्रालय ने उस राज्य को वह राशि जारी नहीं की। इसलिए, इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री एच० डी० देवेगौड़ा : धनराशि एक विशेष सहायता के रूप में जारी नहीं की गई है। जैसा कि मैंने वचन दिया था, 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। लेकिन में विशेष सहायता चाहते हैं। *(व्यवधान)*

उन्होंने कितनी धनराशि जारी की है मैं इस बारे में कल जवाब दूंगा। यह धनराशि हमने आज ही जारी कर दी है और मैंने उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को धनराशि प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। *(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, भारत सरकार द्वारा केवल 13 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही जैसा कि आप जानते हैं, वक्तव्य देने के बाद किसी तरह का स्पष्टीकरण देने की परिपाटी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : हमारा, राज्य निर्धन है और उससे भी अधिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारा काफी नुकसान हुआ है। इसलिए, हम माननीय प्रधानमंत्री के आशय पर शंका नहीं करते लेकिन इस कठिन स्थिति में भी वे उनके आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : अब, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। वक्तव्य देने के बाद, सभा की परिपाटी है कि कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री शरत् पटनायक (बोलंगीर) : माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेषकर पेय जल प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक धनराशि देनी चाहिए। मार्च महीने के बाद बोलंगीर, कालाहाडी, कोरापुर, मयूरभंज और राज्य के अन्य भागों में एक बूंद पानी की भी आपूर्ति नहीं होगी। अतः प्रधानमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन यह है कि जहां तक पेय जल की समस्या का संबंध है उन्हें उसके लिए अधिक से अधिक धन प्रदान करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य इस सदन में दिया है तो कम-से-कम उस वक्तव्य की प्रतिलिपि सबको मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : वक्तव्य की कापी तो सर्कुलेट हुई हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : कब सर्कुलेट हुई है। अभी तक नहीं हुई है। मुझे पता नहीं, कब हुई है।

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि सर्कुलेट हुई है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यदि सदन में कोई वक्तव्य होता है, उसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए।

सभापति महोदय : वक्तव्य की प्रतिलिपि आपको पहुंचा दी जाएगी लेकिन आप कोई क्लीरिफिकेशन नहीं ले सकते।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमारा पहला निवेदन यह है कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए क्योंकि यह बहुत कम है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो सभी बातें विस्तार से रखेंगे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : दूसरे, हम जानना चाहेंगे कि क्राइसेज मैनेजमेंट के बारे में क्या लैप्सेज हुए हैं, उनका कोई वर्णन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवेगौड़ा : मैं पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री शरद यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया उस विधेयक को मत भूलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे पहले कि मैं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखूं, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैं कॉमरेड गीता मुखर्जी के प्रस्ताव का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा करने तथा उसे पारित करने के लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। मैंने सुझाव दिया था कि हम इसे बिना चर्चा के पारित कर दें और मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र यदि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और यदि मैं फिर भी तो मैं सिल्चर से लड़ लूंगा।